डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 231]		रायपुर, सोमवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2001—आश्विन 23, शक 1923

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2001

अधिसूचना

क्रमांक 1077/बी-14/21/2001/14-2.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 3 के अधीन जारी किये गये बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के खण्ड 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये अधिकारियों को, जो बीज नियम, 1968 के नियम 22 में विहित अर्हताएं रखते हों, को उक्त आदेश के अधीन अनुसूची के कालम (3) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारिता के भीतर उक्त अनुसूची के कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उक्त आदेश के अधीन निरीक्षकों के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्रमांक (1)	अधिकारी (2)	अधिकारिता (3)	प्रयोजन (4)
1.	कृषि संचालनालय छत्तीसगढ़ में पदस्थ समस्त संयुक्त संचालक कृषि, संचालक कृषि, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तथा कृषि विकास अधिकारी.	संपूर्ण छत्तीसगढ़	कृषि फसलों के बीज

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	कृषि जिला के कार्यालय या परियोजना कार्यपालन अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में पदस्थ समस्त सहायक संचालक,कृषि/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/विषय वस्तु विशेषज्ञ और कृषि विकास अधिकारी.	अपने-अपने जिलों में	कृषि फसलों के बीज
3.	जिले के उप-संभाग और विकासखण्ड अथवा वृत्त स्तर में पदस्थ समस्त उप-संभागीय अधिकारी/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/विषय वस्तु विशेषज्ञ एवं कृषि विकास अधिकारी.	अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर.	कृषि फसलों के बीज, कन्द, मूल इत्यादि.
4.	कृषि संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर में पदस्थ समस्त संयुक्त संचालक उद्यान/उप-संचालक, उद्यान एवं सहायक संचालक उद्यान, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी.	संपूर्ण छत्तीसगढ़	उद्यानिकी फसलों के बीज.
5.	जिले में पदस्थ संचालक, उद्यान, सहायक संचालक, उद्यान, उप संचालक, उद्यान और सहायक संचालक, उद्यान के कार्यालय में पदस्थ वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी/विकासखण्ड में पदस्थ उद्यान अधीक्षक और वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी.	संबंधित जिला/विकासखण्ड.	उद्यानिकी फसलों के बीज.

Raipur, the 11th October 2001

NOTIFICATION

No. 1077/B-14/21/2001/14-2.—In exercise of the powers conferred by clause 12 of the Seed (Control) Order 1983-issued under Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) and in supersession of all previous notification issued in this regard, the State Government, hereby, appoint the officer specified in column (2) in the Schedule below, who possess the qualifications prescribed in Rule 22 of the Seed Rules, 1968 as inspector to exercise the power within the jurisdiction as specified in column (3) and for the purpose as specified in column (4) of the said schedule under the said order, namely :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Officers (2)	Jurisdiction (3)	Purposes (4)
1.	All Joint Directors of Agriculture/Deputy Directors of Agriculture/Senior Agriculture Development Officers and Agriculture Development Officers posted in Directorate of Agriculture Chhattisgarh, Raipur.	Whole of Chhattisgarh	Agriculture Crop Seed.
2.	All Asstt. Directors of Agriculture/Senior Agriculture Development Officers/Subject matter specialist and Agriculture Development Officers posted in District either in the office of Deputy Director-Agriculture or Office of the Project Executiye Officer, Raipur.	Respective District	Agriculture Corp Seed.

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	All Sub-divisional Officers/Senior Agriculture Development Officers/Subject matter specialist and Agriculture Development Officers posted in the Sub-divisional and block or circle level in the District.	For their respective Jurisdiction.	Agricultural Crop Seed.
4.	All Joint Directors of Horticulture/Dy. Directors of Horticulture and Asstt. Director of Horticulture, Senior Horticulture Development Officers posted in the Directorate of Agriculture Chhattisgarh, Raipur.	Whole Chhattisgarh	Horticulture Crop Seed, Tubes, bulb etc.
5.	All the Director of Horticulture, Asstt. Director of Horticulture/Senior Horticulture Development Officers of posted in the office of the Dy. Director of Horticulture and Asstt. Director of Horticulture Garden Superintendent and Senior Horticulture Development Officer posted in the Block.	Respective District/ Block.	Horticulture Crop Seed.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. जैन, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2001

अधिसूचना

क्रमांक 1079/बी-14/21/2001/14-2.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 3 के अधीन जारी किये गये बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के खण्ड 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त आदेश के प्रयोजन के लिए संबंधित संभाग के आंचलिक प्रबंधक, कृषि जलवायु क्षेत्रीय परियोजना (संयुक्त संचालक कृषि) को उनके अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करती है.

Raipur, the 11th October 2001

NOTIFICATION

No. 1079/B-14/21/2001/14-2.—In exercise of the powers conferred by clause 16 of the Seed (Control) Order, 1983 issued under Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955), the State Government hereby appoints the Zonal Manager, Agro Climatic Zone (Joint Director of Agriculture) as the appelate authority within their jurisdiction for the purposes of the said order.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. जैन, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.